



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 018/2014/पु.स./07/471
दिनांक : 05.10.2023

संशोधित कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 21 के अनुसरण में कार्यालयादेश क्रमांक 018/2014/पु.स./07 दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से गठित पुस्तकालय समिति में आंशिक संशोधन के उपरांत पुस्तकालय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

1	कुलपति	: अध्यक्ष
2	कुलसचिव	: सदस्य
3	वित्ताधिकारी	: सदस्य
4	सभी विद्यापीठों के अधिष्ठाता	: सदस्य
5	अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण	: सदस्य
6	एक वरिष्ठ प्राध्यापक (प्रत्येक विद्यापीठ से) डॉ. हर्षलता पेटकर, सहायक प्रोफेसर, भाषा विद्यापीठ डॉ. ओमप्रकाश भारती, एसोशिएट प्रोफेसर, साहित्य विद्यापीठ डॉ. राकेश कुमार मिश्र, एसोशिएट प्रोफेसर, संस्कृति विद्यापीठ डॉ. रामानुज अस्थाना, एसोशिएट प्रोफेसर, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ प्रो. फरहद मलिक, प्रोफेसर, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ डॉ. धर्मेन्द्र शंभरकर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी, प्रोफेसर, विधि विद्यापीठ डॉ. रविंद्र बोरकर, एसोशिएट प्रोफेसर, प्रबंधन विद्यापीठ प्रो. बंशीधर पाण्डेय, प्रोफेसर, वर्धा समाज कार्य संस्थान डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी, सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय	: सदस्य
7	कुलानुशासक	: सदस्य
8	पुस्तकालयाध्यक्ष	: सदस्य सचिव

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
05/10/23

प्रति (ईमेल द्वारा) : उपर्युक्त सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय,
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
3. वित्त विभाग
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. प्रभारी लीला, वेबसाइट पर अपलोड हेतु